(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को इन संस्थानों द्वारा निधियों के दुर्विनियोग के बारे में जानकारी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

1775. [Transferred to 11th November, 1992]

Drinking Water Facilities to Tribal Areas on North and Central Gujarat

1776. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what action has been taken by Government to provide drinking water facilities to the tribal and backward areas of North and Central Gujarat;

(b) what steps Government have taken/propose to take to improve the situation: and

(c) what is the estimated budget and allocation made for providing the facilities during the 8th Five Yar Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) Out of the funds released from the centrally sponsored ARWSP, the State Government has to earmark 25% and 10% of the total funds released for SCs and STs respectively for provision of safe drinking water. In addition State Government has earmarked funds under the Tribal Area Sub Plan.

(b) The remaining no-source problem villages identified in North and Central Gujarat will be provided with safe drinking water by March, 1993.

(c) An amount of Rs. 56.00 crores has been earmarked under Tribal Area Sub-Plan for providing water facilities during the 8th Five Year Plan. In addition, under ARWSP 35% of the total allocation of Rs. 16.33 crores will be utilised for providing drinking water facilities to the SC/ST habitations in the State during 1992-93.

Linking Tribal Villages of M.P. with the Central Roads

1777. SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sent a proposal for linking tribal villages having population of more than 500 in tribal areas with main roads, to the Central Government for approval and for providing grants for the purpose;

(b) if so, by when the approval is likely to be accorded; and

(c) whether Government also propose to link tribal villages having less population with the central road ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Central Scheme of Construction of roads in tribal areas of the country was discontinued from 1987-88. Construction of roads is a State Subject and funds for the same are provided in State Plan/Budget under Minimum Needs Programme.

जमीन के दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण

1778. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमीन के दस्तावेज की प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से जमीन के दस्तावेज के कम्प्यूटरीकरण,

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और जमीन के अभिलेखों को अद्यतन बनाने की योजना बनाने का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने एवं राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयासों में सहायता कर रही है ।

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 21 प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और 501.53 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 3662.84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना और भू-राजस्व प्रणाली को आधुनिक बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

उत्तर प्रदेश में फालतू जमीन का वितरण

1779. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदालतों में कई मुकदमे लम्बित रहने के कारण उत्तर प्रदेश में फ़ालतू जमीन के वितरण का कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहा है, यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में क्या निर्देश दिए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश शासन ने इन निर्देशों का कहां तक पालन किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा जून 1992 के अन्त तक भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा से फ़ालतू भूमि का 128915 एकड़ क्षेत्र मुकदमेबाजी में फंसा हुआ था ।

भूमि और इसका प्रबंध राज्य का उत्तरदायित्व है । केन्द्र सरकार की भूमिका समन्वयकारी और परामर्श देने की है । तथापि केन्द्र सरकार अधिकतम सीमा से फ़ालतू भूमि से संबंधित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उचित प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर राज्यों को परामर्श देती रही है ।

मार्च 1992 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व न्यायालयों के सम्मुख मुकदमेबाजी में फंसी 75 प्रतिशत भूमि के मामलों का निपटान करके रिलीज कराया जाना चाहिए और रिलीज कराई गई ऐसी भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को तदनुसार कदम उठाने का परामर्श दिया गया है ।